छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर,

//अधिसूचना//

नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 22 जून, 2020

क्रमांक एफ 20–47/2020/ ग्यारह/(छै:) शासन द्वारा राज्य के प्रत्येक विकासखण्ड में फूड पार्क की स्थापना करायी जा रही हैं, साथ ही औद्योगिक नीति 2019–24 के परिशिष्ट–8 की कंडिका–6 में यह निर्देशित किया गया है कि *"औद्योगिक क्षेत्रों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के बाहर उद्योग विभाग/सीएसआईडीसी के माध्यम से आबंटित भूमि के हस्तांतरण के संबंध में प्रचलित भू–हस्तांतरण शुल्क में कमी की जायेगी एवं प्रक्रिया का सरलीकरण किया जावेगा।"*

अतएव, राज्य शासन एतद् द्वारा **"छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम–2015"** के प्रक्रिया का सरलीकरण करने के लिए निम्नानुसार व्यवस्था लागू करता है :–

(1) राज्य में स्थापित तथा स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों (चाहे वे किसी भी नाम से जाने जायें) में उद्योगों को भूमि आबंटन का कार्य, नियमावली की कंडिका 2.7 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऑनलाईन प्रणाली के द्वारा किया जावेगा। इस हेतु सीएसआईडीसी के द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से तथा वेबसाईट पर उपलब्ध प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्त कर नियमानुसार निराकृत किया जावे। साथ ही सीएसआईडीसी की उपरोक्त वेबसाईट विभागीय वेबसाईट www.Industries.cg.gov.in के माध्यम से भी संपर्कित किये जाने की व्यवस्था की जायेगी। यथा आवश्यकता उक्त वेबसाईट को समय समय पर उन्नत किये जाने की व्यवस्था सीएसआईडीसी के द्वारा की जावेगी।

(2) उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन (सीएसआईडीसी) के द्वारा नियंत्रित सभी औद्योगिक क्षेत्रों के विकास, प्रबंधन एवं संधारण का कार्य छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा एकल एजेंसी के रूप में एकीकृत व्यवस्था के अंतर्गत किया जावेगा ।

(3) राज्य के सभी औद्योगिक क्षेत्रों में (वर्तमान में उद्योग संचालनालय, समस्त जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के द्वारा नियंत्रित) भूमि आबंटन से संबंधित समस्त कार्य मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के द्वारा पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन के रूप में किया जायेगा। इस हेतु राज्य के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों के भूखण्डों को सीएसआईडीसी द्वारा विकसित पोर्टल के माध्यम से/विकसित वेबसाईट पर उपलब्ध ऑनलाईन प्रणाली पर एक माह के भीतर दर्ज कर किया जायेगा।

(4) सीएसआईडीसी द्वारा राज्य के सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र/पदेन मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, सीएसआईडीसी को एक सप्ताह के भीतर जिलों के औद्योगिक क्षेत्रों के भूखंडों के आबंटन की कार्यवाही के सुचारू संचालन के लिए आवश्यक आईडी एवं पासवार्ड जारी किये जायेंगे। समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले से संबंधित सभी वर्तमान औद्योगिक क्षेत्रों के अभिलेख सीएसआईडीसी के साथ समन्वय कर यथा आवश्यकता आदान प्रदान की कार्यवाही एक माह के भीतर प्रणाली का सुचारू संचालन अनिवार्यतः पूर्ण करेंगे।

(5) छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 के अंतर्गत अध्याय–3 में वर्णित भूमि का आबंटन पश्चात नियमन एवं प्रबंधन (अभिहस्तांकन, हस्तांतरण, निरस्तीकरण, अपील एवं अन्य सभी प्रावधान) यथावत् प्रशासित प्रणाली के अनुसार आबंटन प्राधिकारी द्वारा सुनिश्चित कराये जायेंगे।

(6) लैण्ड बैंक से संबंधित भूमि के आबंटन एवं आबंटन पश्चात् किये जाने वाले सभी कार्य यथावत सीएसआईडीसी के द्वारा सम्पन्न किये जावेंगे। सीएसआईडीसी के मैदानी कार्यालयों में भूमि आबंटन से संबंधित पदस्थ अधिकारियों को यथाआवश्यकता प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी के कार्यालय में पदस्थ किया जावे।

(7) उपरोक्त व्यवस्था के क्रियान्वयन/संचालन संबंधी विषयों पर किसी प्रकार की व्यवस्था से संबंधित विषय पर आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय तथा प्रबंध संचालक, सीएसआईडीसी द्वारा आपसी समन्वय से निर्णय लिये जा सकेगें। यथा आवश्यकता विषय शासन को संदर्भित किये जाने पर शासन द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जा सकेगा।

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

का॰प्र॰

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

निरंतर 3

पृ. क्र. एफ 20–47/2020/ ग्यारह/(छै:) नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 22 जून, 2020
प्रतिलिपि :–

1. निज सहायक, माननीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, महानदी भवन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2 संचालक, उद्योग संचालनालय, भूतल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक –1, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्लपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, प्रथम तल, उद्योग भवन, रिंग रोड क्रमांक –1, तेलीबांधा, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
4. समस्त मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर की ओर उक्त अधिसूचना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन तथा 250 प्रतियां इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु।

का॰ प्र॰

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग